न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 133/2012

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
सुगालराम पुत्र धुलाराम जाति घांची निवासी बिलाडिया गेट के बाहर, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)		1. बस्ताराम पुत्र धुलाराम जाति घांची निवासी पावटी का बास, सुथारो की गली, सोजतसिटी, तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) 2. रामसिंह पुत्र शुभकरण जाति चारण निवासी खारीकला, जिला जोधपुर (राजस्थान) 3. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रार्थना

उपस्थितिः—

1. श्री शान्ति प्रकाश माथुर एवं भूण्डाराम चौधरी अधिवक्तागण मय वादी उपस्थित।
2. श्री युगल किशोर अधिवक्ता प्रति0 संख्या 01 उपस्थित
3. श्री राजेन्द्रसिंह आशिया एवं श्री कैलाश दवे, अधिवक्ता प्रति संख्या 02 उपस्थित

—: निर्णय :— दिनांक 07/05/17

अधिवक्ता मय प्रतिवादी संख्या 02 रामसिंह पुत्र शुभकरण जाति चारण निवासी खारी कला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी.सी सपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 दोनो सगे भाई है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में अपना 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 13.11.2009 को बेचान कर वादग्रस्त आराजीयात में अपना हक हिस्से पर कब्जा काश्त सुपुर्द कर दिया। तब से लगाकर आज दिनांक तक प्रतिवादी संख्या 02 वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हक हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज होकर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के खुलम खुला शारस्वत रूप से उपयोग उपभोग बहैसियत खातेदार काश्तकार की हैसियत से करता आ रहा है। वादी द्वारा वाद में प्रतिवादी संख्या 1 को पक्षकार कोलेजिव रूप से बनाया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत होने से पूर्व ही अपना संपूर्ण हक हिस्सा बेचान कर दिया था। उपरोक्त वाद प्रस्तुत होने से पूर्व इस भूमि के संदर्भ में एक अन्य वाद अशोक कुमार बनाम बस्ताराम प्रस्तुत हुआ था। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा पवाब दावा प्रस्तुत कर खसरा नंबर 370 व खसरा नंबर 372 कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.1800 हैक्टर में से अपना संपूर्ण 1/2 हक हिस्सा बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने का कथन किया गया। जबकि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को केवलमात्र ख0नं0 372 का ही बेचान कर कब्जा दिया है। जो कथन रजिस्टर्ड बेचान एवं राजस्व रेकर्ड से स्वत: ही गलत साबित हो जाता है। वादी द्वारा वाद पत्र में ख0नं0 370 रकबा 1.0800 है0 भूमि का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करने की ईश्तदुआ चाही है। उक्त इस्तदुआ प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में उप पंजीयन अधिकारी, सोजत के समक्ष रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज दिनांकित 13.11.2009 के अस्तित्व में रहते हुए पारित नहीं की जा सकती है। क्योकि रजिस्टर्ड बेचाननामा में ख0नं0 370 में 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 को बेचान किया हुआ है। वादी द्वारा उक्त बेचान दस्तावेज को निरस्त करवाये

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

Scanned with CamScanner

बिना खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त नही की जा सकती है। प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष मे पंजीयन सुदा दस्तावेज को निरस्त करने का अनन्य क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में पंजीयन दस्तावेज को निरस्त नही किया जा सकता है तथा जब तक उक्त दस्तावेज निरस्त नही किया जाता तब तक वादी के पक्ष में खसरा नंबर 370 रकबा 1.0800 हैक्टर का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित नही किया जा सकता है। वादी का उपरोक्त वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. की परिधि में आने से प्रथम दृष्टया काबिले खारिज के है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रति0 संख्या 2 ने प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी का पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा वादी का प्रस्तुत उक्त वाद उक्त प्रावधानों के तहत खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता मय वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी का दिनांक 01.04.2021 को जबाव पेश किया कि वाद अन्तर्गत धारा 88,53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अधिवक्ता प्रति0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सी.पी.सी0 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सगे भाई है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आज से करीब 18–20 वर्ष पूर्व आपसी बंटवाडा हो चुका है। उक्त आपसी बंटवाडा अनुसार ख0नं0 370 वादी सुगालराम तथा ख0नं0 372 प्रतिवादी संख्या 1 बस्ताराम के हक हिस्से मे स्थित थी। इसी माफिक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 वक्त आपसी बंटवाडे के समय से आज दिन तक बिना रोक–टोक, निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का ख0नं0 372 रकबा 1.1000 है0 की भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 को किया गया है। प्रति0सं0 2 का ख0नं0 372 पर शांतिपूर्वक कब्जा काबिज होकर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के खुलम खुला शास्वत रूप से उपयोग व उपभोग बहैसियत खातेदार काश्तकार के चला आ रहा है। प्रति0सं0 2 के द्वारा यह लिखना बिल्कुल ही गलत है कि प्रति0 सं0 1 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा बेचान कर दिया था, प्रतिवादी संख्या 1 ने मात्र उक्त आपसी बंटवाडा अनुसार ख0नं0 372 प्रति0 सं0 2 के हक हिस्से में बेचान की थी और उक्त ख0नं0 372 का ही कब्जा प्रति0 सं0 2 को सुपुर्द किया था। वादी व उसके भाई प्रति0सं0 1 के मध्य आज से करीब 18–20 वर्ष पूर्व आपसी बंटवाडा हो चुका था। इसलिए वादी ने न्यायालय हाजा में अपने नाम से खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है जो वाद राजस्व न्यायालय का होने से न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार का है। वादी का निरन्तर कब्जा खसरा नम्बर 370 रकबा 1.0800 हैक्टर का बिना रोकटोक शांतिपूर्वक तरीके से निर्बाध रूप से चला आ रहा है। उक्त खातेदारी घोषणा वादी के नाम किया जाना न्यायोचित पक्ष में होने से वादी अपने पक्ष में करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार जबाब प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर अधिवक्ता प्रति0 संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद दिनांक 01.08.2012 के अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आर0टी0 एक्त 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में ख0नं0 370 रकबा 1.0800 है0 किस्म बंजड व जाव सोयम तथा ख0नं0 372 रकबा 1.1000 है0 किस्म जाव सोयम कुल किता खसरा 2 रकबा 2.1800 की कृषि जोत की भूमि स्थित है। उक्त वादस्थ कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बस्ताराम के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है, किन्तु वादी व प्रतिवादी 1 के मध्य आज से करीब 18–20 वर्ष पूर्व आपसी बंटवाडा हो चुका है, उक्त आपसी बंटवाडा अनुसार ख0नं0 370 वादी सुगालराम के हक हिस्से में आया व ख0नं0 372 प्रति0 सं0 1 बस्ताराम के हक हिस्से में आया, इसी माफिक वादी व प्रति0 सं0 1 बस्ताराम के हक रिसे में आया, इसी माफिक वादी व प्रति0 सं0 1 वक्त आपसी बंटवाडा के समय से आज दिन तक लगातार बिना रोक टोक निर्बाध रूप से कब्जा काश्त कर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

रहे है । वादी ने अपने हिस्से में ख0नं0 370 में आज से 10–12 वर्ष पूर्व मेहन्दी की फसल लगा दी है। दिनांक 13.11.2009 को प्रति0सं0 1 उक्त कृषि जोत की भूमि का अपने हिस्से की कृषि भूमि ख0नं0 372 का बेचान प्रतिवादी सं0 2 रामसिहं के पक्ष में कर दिया। किन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के संयुक्त खातेदारी की होने से सम्पूर्ण ख0नं0 370 व 372 का 1/2 हिस्सा का बेचाननामा प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में तहरीर तकमील किया, किन्तु मौके पर कब्जा खसरा नम्बर 372 रकबा 1.1000 है0 कर दिया गया व इसी माफिक वक्त खरीद से प्रति0सं0 2 काबिज काश्त चला आ रहा है तथा ख0नं0 370 रकबा 1.0800 है0 पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा आपसी बंटवाडा माफिक वादी व प्रतिवादी संख्या 2 काबिज काश्त है। वाद बंटवाडा का होने से प्रतिवादी सं0 3 को आवश्यक पक्षकार है। दिनांक 23.07.2012 को प्रतिवादी सं0 2 द्वारा वादी के कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि ख0नं0 370 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे खडे पत्थर के टुकडे हटाने व एलानियां धमकियां देने पर कि वादस्थ कृषि जोत जो की भूमि में मुझ प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है। तब वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर जानकारी में आया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 से मिलावट कर वादस्थ कृषि जोत की भूमि का 1/2 हिस्से का बेचान रजिस्ट्री करवा दी है। जबकि प्रति0सं0 1 ख0नं0 372 पर आपसी बंटवाडा अनुसार काबिज काश्त था तथा उसी माफिक बेचान प्रति0सं0 2 को ख0नं0 372 पर आपसी बंटवाडा अनुसार काबिज काश्त था तथा उसी माफिक बेचान प्रति0सं0 2 को ख0नं0 372 रकबा 1.1000 है0 का किया था, तथा कब्जा भी ख0नं0 372 का प्रति0सं0 2 को सुपुर्द किया था। अब प्रतिवादीगण जोर जबरदस्ती वादी के हक हिस्से की कृषि भूमि ख0नं0 370 पर लाठी लकडी के बलकर अपनी मर्जी माफिक कब्जा करना चाहते है, जबकि उक्त वादस्थ कृषि भूमि का विभाजन वादी व प्रति0सं0 1 के मध्य आज से करीब 18–20 वर्ष पूर्व हो चुका है। अब प्रतिवादी सं0 2 वादी के हक हिस्से व अपासी बंटवाडे में स्थित कृषि भमि ख0नं0 370 को हडप करने की नियत से उक्त वादस्थ कृषि भमि पर कब्जा करना चाहता है। जबकि कायदे के अनुसार कब्जा करने का प्रतिवादीगण को कोई हक नही है। क्योकि आपसी बंटवाडा अनुसार वादस्थ कृषि जोत की भॅमि के ख0नं0 370 पर वादी का आपसी बंटवाडा से आज दिन तक लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण वादी द्वारा उपजाउ की गई ख0न0 370 की कृषि भूमि तथा उस पर लगी मेहन्दी की फसल को हडप करने की नियत है। अगर प्रतिवादीगण अपने इरादो में कामयाब हो जाते है तो वादी को बडी हकतलफी होगी। वादी द्वारा ख0नं0 370 की भूमि में खाद, मिट्टी डालकर उपजाउ बनाया, समतल किया तथा मेहन्दी की फसल लगाई। अगर प्रतिवादीगण इस भूमि पर मर्जी माफिक कब्जा कर तारबंदी या बेचान कर देते है तो वादी को भारी नुकसान होगा। यदि प्रतिवादीगण तारबंदी या बेचान ख0नं0 370 रकबा 1.0800 है0 भूमि पर करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। अतएव वादी वादस्थ कृषि जोत की भूमि को डिविजन ऑफ होल्डिग बंटवाडा का तथा ख0नं0 370 रकबा 1.0800 है0 की कृषि भूमि की खातेदारी वादी की खातेदारी घोषणा तथा वादी की कृषि भूमि ख0नु0 370 से बेदखल करने व जोर जबरदस्ती तारबंदी व बेचान करने पर उतारू होने से विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। बिनायदावा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की कृषि भूमि ख.नं0 370 रकबा 1.0800 में दखलन्दाजी करने तथा राजस्व रेकर्ड को नकले लेने पर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 आ0टी0एक्ट 1955 का पेश कर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने अर्थात सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 370 रकबा 01.0800 हैक्टर किस्म बंजड व जा0सो0 का वादी को खातेदार घोषित करने उक्त भूमि का बटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाये जाने तथा वादी के कब्जे काश्त की भूमि में दखल अन्दाजी करने से प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

Scanned with CamScanner

बहस दरख्वास्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सहपठित 151 सीपीसी अधिवक्ता प्रति0 सख्या 2 तथा अधिवक्ता वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रति0 संख्या 2 ने व्यक्त किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 सगे भाई है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्से की 1/2 हिस्से की कृषि भूमि आराजी जरिये रजि0 बैचान दिनांक 13.11.2009 को बैचान कर अपना हक हिस्सा का कब्जा काश्त सुपुर्द कर दिया तब से लगातर आज तक प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग स्वतंत्र निर्बाध रूप से बहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। वाद प्रस्तुतीकरण से पूर्व प्रति0 संख्या 01 ने उक्त वादरथ भूमि का 1/2 हिस्सा बैचान कर दिया था। जिसकी स्वीकारोक्ति का उल्लेख न्यायालय हाजा में प्रस्तुत रा0वा0 अशोक कुमार बनाम बस्ताराम में प्रस्तुत जवाब दावा प्रति संख्या 01 द्वारा भी किया गया। इस वाद में भी प्रति संख्या 1 का ईकबाली ज0दा0 पेश कर स्वीकारोक्ति की है। प्रस्तुत वाद में खसरा नम्बर 370 रकबा 1. 0800 हैक्टर भूमि का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करने की ईश्तदुआ गलत व मिथ्या चाही है। क्योकि उप पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करवाये बिना जिसका की अधिकार सिविल न्यायालय को है, घोषणा नही की जा सकती है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी का प्रस्तुत वाद प्रार्थना पत्र आरेश 07 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी के प्रावधानानुरूप काबिल खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस के जबाव में अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या 01 व वादी के मध्य 18 से 20 वर्ष पूर्व आपसी बंटवाडा हो जाने से खसरा नम्बर 370 की भूमि वादी तथा 372 की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से में आने से तथा कब्जा काश्त इसी माफिक होने से मात्र खसरा नम्बर 372 की भूमि ही प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बैचान की है। उक्त खसरा नम्बर 372 की भूमि का ही कब्जा सुपुर्द किया था। आपसी बंटवाडा अनुसार ही वादी द्वारा उक्त घोषणा का वाद पेश किया है, जिससे अधिवक्ता वादी ने अधिवक्ता प्रति0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी का खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी, जबाब प्रार्थना पत्र अधिवक्ता मय वादी का वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 69 प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी 2070–73 ज0दा0 दिनांक 14.06.2010 पूर्व में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत रा0वा0 अशोक कुमार बनाम बस्ताराम आदि का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 सगे भाई है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्से की 1/2 हिस्से की कृषि भूमि आराजी जरिये रजि0 बैचान दिनांक 13.11.2009 को बैचान कर अपना हक हिस्सा का कब्जा काश्त सुपुर्द कर दिया तब से लगातर आज तक प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग स्वतंत्र निर्बाध रूप से बहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। वाद प्रस्तुतीकरण से पूर्व प्रति0 संख्या 01 ने उक्त वादरथ भूमि का 1/2 हिस्सा बैचान कर दिया था। जिसकी स्वीकारोक्ति का उल्लेख न्यायालय हाजा में प्रस्तुत रा0वा0 अशोक कुमार बनाम बस्ताराम में प्रस्तुत जवाब दावा प्रति संख्या 01 द्वारा भी किया गया। इस वाद मे भी प्रति संख्या 1 का ईकबाली ज0दा0 पेश कर स्वीकारोक्ति की है। प्रस्तुत वाद में खसरा नम्बर 370 रकबा 1. 0800 हैक्टर भूमि का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करने की ईश्तदुआ गलत व मिथ्या चाही है। क्योकि उप पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करवाये बिना जिसका की अधिकार सिविल न्यायालय को है, घोषणा नही की जा सकती है। पंजीबद्ध दस्तावेजात का राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 में अमल दरामद भी हो चुका है, जिसके अनुसार भी प्रतिवादी संख्या 02 स्वयं बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है। अधिवक्ता मय वादी द्वारा

उप खण्ड अधिकारी (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

ऐसा कोई बंटवाडा हो जाने से सम्बद्ध दस्तावेजी साक्ष्य सबूत भी पेश नही किया है। वादी द्वारा वादपत्र मे जाहिर किया कि खसरा नम्बर 370 की सम्पूर्ण भूमि प्राप्त करने अधिकारी है। जबकि वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 370 में वादी मात्र 1/2 हिस्से की भूमि प्राप्त करने का हक रखता है। वादी ने वादपत्र में विभाजन संगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लेख अवश्य किया गया है किन्तु इस्तदुआ अनुसार सम्पूर्ण खसरा नम्बर 370 की भूमि का खातेदारी घोषणा चाहता है जिसे प्रतिवादी संख्या 02 ने जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज खरिद की है। वादी द्वारा स्वयं ने अपने वाद पत्र में यह भी स्वीकार किया है कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 01 ने सम्पूर्ण खसरा नम्बर 370, 372 का 1/2 हिस्सा का बेचाननामा प्रतिवादी संख्या 2 रामसिंह के पक्ष में तहरीर तकमील कर दिया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 ने अपना 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादीसंख्या 02 को जरिये रजिस्र्ड बैचान कर दिया है जिससे वादस्थ भूमि खसरा नमबर 370, 372 के राजस्व रेकर्ड में 1/2 हिस्से का खातेदार वादी व 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 02 है। वादी मात्र खसरा नम्बर 370 की भूमि का स्वयं के नाम खातेदारी घोषणा चाहता है जो कि उपपंजीयन अधिकारी द्वारा किये गये पंजीबद्ध दस्तावेजात को निरस्त किये बिना संभव नही है तथा पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। लिहाजा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी के प्रावधानो से परिपूर्ण होने से स्वीकार योग्य है, फलतः स्वीकार किया जाना तथा अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद चलने योग्य नही होने, क्षैत्राधिकारीता से परे एवं पोषणीय नही होने खारिज किया जाना उचित समझते है।

—:: आदेश ::—

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी के प्रावधानों से परिपूर्ण होने से स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त घोषणा का वाद चलने योग्य नही होने, क्षैत्राधिकारिता से परे व सारहीन तथ्यहीन एव आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथम से मूर्तिब हों पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 07/05/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 133/2012

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुगालराम पुत्र धुलाराम जाति घांची निवासी बिलाडिया गेट के बाहर, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)		1. बस्ताराम पुत्र धुलाराम जाति घांची निवासी पावटी का बास, सुथारो की गली, सोजतसिटी, तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) 2. रामसिंह पुत्र शुमकरण जाति चारण निवासी खारीकला, जिला जोधपुर (राजस्थान) 3. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली (राजस्थान)

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी</u>

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्तागण वादी श्री शांतिप्रकाश माथुर, श्री बी0आर0चौधरी, एवं श्री युगलकिशोर, श्री राजेन्द्रसिंह आशिया, श्री कैलाश दवे अधिवक्तागण प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अधिवक्ता मय प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रावधानों से परिपूर्ण होने से स्वीकार किया जाता हैं फलस्वरूप अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद चलने योग्य नहीं होने तथा क्षेत्राधिकारिता से परे व सारहीन, तथ्यहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07.04.2021 को जारी की गई।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			

Scanned with CamScanner